रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

SRO 30/2014 Scientific Staff Gp-C

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, अप्रैल 20—अप्रैल 26, 2014, शनिवार/चैत्र 30—वैशाख 6, 1936
No. 7] NEW DELHI, APRIL 20—APRIL 26, 2014, SATURDAY/CHAITRA 30—VAISAKHA 6, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2014

का.नि.आ. 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय नौसेना समूह 'ग' और समूह 'घ' (वैज्ञानिक कर्मचारीवृंद) पद भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में समूह 'ग' (वैज्ञानिक कर्मचारीवृंद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) समूह 'ग', (वैज्ञानिक कर्मचारीवृंद) पद भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनबैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रयोगशाला निदर्शक	11* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय, अनौद्योगिक,	वेतन बैंड-1: 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिये शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है । **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अनुसूची के स्तंभ (7) में वर्णित प्रत्येक मामले में भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से भौतिक या रसायन अथवा इलैक्ट्रोनिक्स सहित विज्ञान में डिग्री। टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेलन : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. नौसेना मुख्यालय के कमांडर रैंक के एक अधिकारी या समतुल्य रैंक के या उससे ऊपर के रैंक के एक सिविलियन अधिकारी —अध्यक्ष 2. नौसेना मुख्यालय के लेफ्टीनेंट कमांडर/लेफ्टीनेंट रैंक के अधिकारी या समतुल्य रैंक के या उससे ऊपर के रैंक के सिविलियन अधिकारी —सदस्य 3. रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक विंग में अवर सचिव रैंक के अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. प्रयोगशाला सहायक	48* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय, अनौद्योगिक	वेतन बैंड-1: 5200—20200 रु., ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिये शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख अनुसूची के स्तंभ (7) में वर्णित प्रत्येक मामले में भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विज्ञान में डिग्री जिसमें रसायन एक मुख्य विषय के रूप में रहा हो । 2. रसायन प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव, विद्युतलेपन प्रक्रिया, धातुओं को पहचान करने, पेट्रोलियम, तेलों और स्नेहकों के परीक्षण का ज्ञान।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेलन : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. नौसेना मुख्यालय के कमांडर रैंक के एक अधिकारी या समतुल्य रैंक के या उससे ऊपर के रैंक के एक सिविलियन अधिकारी —अध्यक्ष 2. नौसेना मुख्यालय के लेफ्टीनेंट कमांडर/लेफ्टीनेंट रैंक के अधिकारी या समतुल्य रैंक के या उससे ऊपर के रैंक के सिविलियन अधिकारी —सदस्य 3. रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक विंग में अवर सचिव रैंक के अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. सीपी/एनवी/2828/जीपी-सी/वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद/09/डी(अपार्टस)/आरआर/2014]

दलपत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st April, 2014

S.R.O. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence in the Navy Group 'C' and 'D' (Scientific Staff) posts Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to posts of Group 'C' (Scientific Staff) posts in the Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) Group 'C', (Scientific Staff) posts Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay/scales of pay.**—The number of the posts, their classification and pay band and grade pay/scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

1630 GI/14—2

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Laboratory Demonstrator	11* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted) Non-Ministerial, Non-Industrial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200, Grade Pay Rs. 2800	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions issued by the Govt. from time to time). Note 1 : The crucial date for determining the age limit mentioned in Column 7 of the Scheduled will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange have asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Degree in Science with Physics or Chemistry or Electronics from a recognized University or Institution. Note : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment or absorption or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Method of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion /deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By absorption failing which direct recruitment.	**Absorption :** Persons serving in similar or equivalent or higher posts in the lower formations of the Defence Services and possessing qualification specified in Col. 7.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Officer of the rank of Commander or civilian officer of equivalent rank or above of Naval Headquarters. —Chairman 2. Officer of the rank of Lieutenant Commander/ Lieutenant or civilian officer of equivalent rank or above of Naval Headquarters. —Member 3. Officer of the rank of under Secretary or concerned administrative wing in Ministry of Defence. —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Laboratory Assistant	48* (2014) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted) Non-Industrial, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200, Grade Pay Rs. 2800	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions issued by the Govt. from time to time)

	(6)
	Note 1 : The crucial date for determining the age limit mentioned in Column 7 of the Scheduled will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. Note 2 : In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges have asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
1. Degree in Science with Chemistry as one of the main subjects from a recognized University or Institution. 2. One year experience in chemical laboratory, knowledge of electroplating process, identification of metals, testing of petroleum, oils and lubricants.	Not applicable	Two years for direct recruits.

(10)	(11)
By absorption failing which by direct recruitment.	**Absorption :** Persons serving in similar, equivalent or higher posts in the lower formations of Defence Services and possessing the qualification specified in Col. 7.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Officer of the rank of Commander or civilian officer of equivalent rank or above of Naval Headquarters. —Chairman	Not applicable.

(12)	
2. Officer of the rank of Lieutenant Commander/ Lieutenant or civilian officer of equivalent rank or above of Naval Headquarters.	—Member
3. Officer of the rank of Under Secretary of concerned administrative wing in Ministry of Defence.	—Member

[F. No.CP(NG)/2828/Gp-C/Sci Staff/09/D(Apptts)/RR/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2014

का.नि.आ. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर अराजपत्रित वर्ग III पद भर्ती नियम, 1969 को जहां तक उसका संबंध लीडिंग हैंड्स (गैर-तकनीकी) पद से है, उन बातों को सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के इलैक्ट्रॉनिक तथा यांत्रिकी इंजीनियरों के कोर में लीडिंग हैंड्स (गैर-तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय के इलैक्ट्रॉनिक तथा यांत्रिकी इंजीनियरों के कोर में लीडिंग हैंड्स (गैर-तकनीकी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति,, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

1630 GI/14-3